प्रेषक,

अधिशासी अभियंता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला, नई दिल्ली-25

प्रेषित,

The Executive Engineer
Division No-5, Municipal Corporation
Faridabad.

पत्रांक 378 /है0व0ख0/अनुमति दिनांकः- 01/02/2020

विषयः- *PDMC for AMRUT Program in Haryana- Augmentation & Providing Sewerage in Faridabad Town Part A(Construction of 2MPS with main Connecting Sewer) along with O&M 5 year under AMRUT Program- Regaeding permission for laying of sewer pipe along Agra Canal from Kheri bridge to sector-8 bridge.*

संदर्भ :- *Your Memo No-*

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा आपने आगरा नहर पर खेड़ी पुल से सैक्टर-8 पुल तक सीवर लाईन डालने की अनुमति हेतु वांछना की है, है के संबन्ध में अवगत कराना है कि उक्त कार्य से सिंचाई विभाग की सम्पत्ति को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 49891575.00 की धनराशि बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला के कार्यालय में दिनांक 29.01.2020 को D.D NO. 015737 dt. 28.01.2020 के माध्यम से जमा करा दी गयी है।

अतः उक्त स्थल पर सीवर लाईन डालने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है-

1- सिंचाई विभाग की भूमि का उपयोग इस तरह किया जाय कि इससे सिंचाई विभाग की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचाई जाए।

2- आगरा नहर की भूमि पर विषयक कार्य के कम में कोई स्थायी/अस्थायी संरचना का निर्माण नही किया जाएगा।

3- वन विभाग की किसी भी स्थलीय आपत्ति का निराकरण स्वयं लाभार्थी संस्था द्वारा किया जाएगा।

4- यदि भविष्य में सिंचाई विभाग,उ0 प्र0 को उक्त भूमि की आवश्यकता होती है तो किये गये कार्य को लाभार्थी संस्था द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटाना/शिफ्ट करना होगा।

5- लाभार्थी संस्था द्वारा उक्त कार्य इस प्रकार कराया जायेगा कि सिंचाई विभाग द्वारा कराये गये एवं भविष्य में कराये जाने वाले कार्य इससे प्रभवित न हों।

6- उक्त सहमति/अनुमति जारी किये जाने के उपरांत उच्च स्तर से कोई विपरीत आदेश प्राप्त होते हैं तो दी गयी अनुमति/सहमति तदानुसार ही संशोधित/निरस्त होने पर लाभार्थी संस्था को मान्य होगी एवं लाभार्थी का कोई भी क्लेम/दावा सिंचाई विभाग उ0प्र0 को मान्य नही होगा।

7- उक्त सहमति/अनुमति के उपरांत यदि इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति आती है तो अधीक्षण अभियंता, वृतीय मंडल सिंचाई कार्य आगरा के निर्णय/आदेश अन्तिम तथा दोनो पक्षों को स्वीकार्य होंगे।

-क्रमशः2-

CS Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

8- यह अनुमति जारी करने की तिथि से आगामी 03 वर्ष के लिए ही मान्य होगी। लाभार्थी संस्था द्वारा (03 वर्ष पश्चात) आगामी प्रत्येक वर्ष के लिए क्रमशः 15%, 20%, 25% अर्थात वार्षिक 5% की वृद्धि करते हुए (अधिकतम सीमा 50% तक) अनुरक्षण हेतु धनराशि अधिशासी अभियंता। हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला के पास जमा करानी होगी एवं कार्यस्थल के निरीक्षणोपरांत खण्डीय कार्यालय स्तर से नीति निर्धारित करते हुए अलग से आदेश निर्गत किए जायेंगे, जिन्हे लाभार्थी संस्था द्वारा मानने की बाध्यता होगी।

9- सीवर लाईन डालते समय ब्रिटिशकालीन नहर की H.G लाईन कटने से बचाई जाए।

10- *Proposal for Four Lane connectivity on the bank of Agra Canal from Kalindi Kunj to Sector -137 Faridabad (C.M announcement No. 11338 Memo No. 1459/HSRDC/Dt. 25.02.2019)* द्वारा कि0मी0 9.60 से 30.00 के मध्य हरियाणा राज्य की जनता के आवागमन हेतु चार लेन सड़क परियोजना प्रस्तावित है, इसके लिए उपयुक्त स्थल को छोड़कर नहर के बायीं तरफ अन्तिम सिरे की राजकीय भूमि के साथ-साथ सीवर का ले-आउट डालने से पूर्व सिंचाई विभाग को सूचित करना सुनिश्चित करें।

11- आगरा नहर की पटरी के साथ-साथ गेल ऑफ इंडिया की पाइप लाइन डाली गई है, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त स्थल अपना ले आउट एवं गेल द्वारा डाली गई पाईप लाईन के स्थलीय ले आउट का संयुक्त निरीक्षण कर लें ताकि किसी दुर्घटना की आशंका को टाला जा सके।

12- विद्युत की हाइटेंशन / छोटी लाइन भी राजकीय भूमि से विकास संबन्धी कार्यों के सापेक्ष गुजरती हैं, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विद्युत विभाग को सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

यह अनुमति केवल उक्त स्थल पर सीवर लाईन डालने हेतु ही अनुमन्य होगी।

अधिशासी अभियंता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला, नई दिल्ली-25।

पत्रांक /है0व0ख0/अनुमति/तदिनांकः-

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-कार्य हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली-25 को पत्रांक 64/स0अ0-कार्य/29.01.20120 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियंता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला, नई दिल्ली-25।

CS Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner